रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-63/2019/1357/22-2-2019-17(23)/2004
लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, वाराणसी** के सिद्धदोष **बन्दी शम्भूनाथ जायसवाल (बन्दी संख्या-41119) पुत्र श्री लक्ष्मीनरायन, जो-बी0-5/19 अवधगर्वी सोनारपुरा, थाना-भेलूपुर, जनपद-वाराणसी** का रहने वाला है**,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-232/1999** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 22.09.1999** को **मा0 सत्र न्यायाधीश, वाराणसी** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की 19 वर्ष 04 माह 29 दिन काटी गयी अपरिहार सजा, अच्छे जेल आचरण एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं**]** तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-63/2019/1357(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in